# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—596/2012/225 (2012/00024)**

1. चूनाराम पुत्र बिरदाराम थाकण, जाति जाट, निवासी थाकणों की ढाणी रूपनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. सूजाराम पुत्र बिरदाराम थाकण, जाति जाट, निवासी थाकणों की ढाणी, रूपनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
3. कानी पुत्री बिरदाराम थाकण, जाति जाट, निवासी थाकणों की ढाणी, रूपनगढ, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
4. नन्दू पुत्री बिरदाराम थाकण, जाति जाट, निवासी थाकणों की ढाणी, रूपनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
5. बिरजी पुत्री बिरदाराम थाकण, जाति जाट, निवासी थाकणों की ढाणी, रूपनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

**अपीलांटस**

**बनाम**

1. प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 आशाराम, जाति ब्राहमण, निवासी जयनारायण व्यास, कॉलोनी, तह0 परबतसर, जिला नागौर ।
2. सुनिल कुमार पुत्र सोहनलाल, जाति प्रजापति, निवासी पुराना शहर किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
3. मोहम्मद इस्लाम शेख पुत्र मोईनुद्दीन शेख, जाति मुसलमान, निवासी चमड़ाघर, मदनगंज तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
4. उप पंजीयक, किशनगढ़, तहसील व जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 30.7.2012 अंतर्गत प्रकरण संख्या 21/2012.**

उपस्थितः—

1. श्री सुण्डाराम जाट, वकील अपीलांटस ।
2. श्री विकास कुमार गूगरवाल एवं श्री रामसुख चौधरी, एवं श्री रामदेव गुर्जर वकील रेस्पो0 संख्या 3.
3. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 व 5.

## निर्णय

**दिनांकः— 11.02.2021**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 30.7.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध

अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस के प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम थाकणों की ढाणी के खसरा नंबर 1010/2483 जिसका कुल रकबा 9 बीघा है जिसके एकीकरण खसरा नंबर 882, 883, 884 एवं सेटलमेंट खसरा नंबर 1052, 1053 है जो प्रार्थीगण के दादा बिरदा थाकण के नाम संवत् 2010 से 2018 तक कब्जे काश्त में चले आ रहे है जो कि खसरा परिवर्तनशील पी. 14 में काश्त दर्ज है । खतौनी बंदोबस्त संवत् 2010 से 2019 खसरा संख्या 1053 बिलानाम दर्ज है जबकि कब्जा काश्त निरन्तर प्रार्थीगण का चला आ रहा है । बिरदा थाकण की मृत्यु के बाद से प्रार्थीगण उक्त खसरा नंबर की कृषि भूमि पर काबिज चले आ रहे है एवं आज भी काबिज है जिससे प्रार्थीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है । अप्रार्थी संख्या 1 के पिता आशाराम के फौत होने से एवं पुत्री उषा किरण के हक त्याग से एकमात्र वारिस प्रदीप कुमार को अप्रार्थी संख्या 1 पक्षकार बनाया गया है । प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नंबर 1010/2483 रकबा 9 बीघा बारानी–3 ग्राम थाकणों की ढाणी, रूपनगढ़ में स्थित है । उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का संवत् 2010 से 2018 तक निरस्त कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 में प्रार्थीगण के पिता बिरदा थाकण के बजाय आशाराम पुत्र लादूराम कौम ब्राह्मण सा0देह खातेदार अंकन हो गया । अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त त्रुटिपूर्ण इंद्राज के आधार पर उक्त वर्णित भूमि को तथाकथित रूप से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को विक्रय कर दिया जिसके आधार पर नामांतकरण संख्य 3850 दिनांक 20.7.2011 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में तस्दीक किया गया । उक्त गलत इंद्राज को दुरूस्त किये जाने हेतु वाद न्यायालय में विचाराधीन है । अप्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । इस कारण नामांतकरण संख्या 3769 दिनांक 4.3.2011 एवं नामांतकरण संख्या 3850 दिनांक 20.7.2011 विधिविरूद्ध होने के कारण प्रार्थीगण के अधिकारों के प्रति प्रभावहीन व बेअसर है जो निरस्त किये जाने योग्य है । उपरोक्त नामांतकरण खुलने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 2 व 3 दिनांक 8.2.2012 को वादग्रस्त भूमि पर आये और भूमि अपने नाम होना बताते हुए उक्त भूमि को अन्य को बेचान करने की धमकी देकर चले गये । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर अप्रार्थीगण को वाद के विचाराधीन रहते प्रार्थीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त की भूमि में बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा रहन, बेचान आदि नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 30.7.2012 द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । विवादित आराजियात पर प्रार्थीगण के पिता बिरदा थाकण संवत् 2010 से 2018 तक काबिज चले आ रहे है जो कि फार्म पी. 14 से सिद्ध है । खतौनी बंदोबस्त संवत् 2010 से 2019 खसरा संख्या 1053 बिलानाम दर्ज है जबकि कब्जा काश्त निरन्तर प्रार्थीगण का चला आ रहा है । बिरदा थाकण की मृत्यु के बाद से वादीगण उक्त खसरा नंबरों की भूमियों पर काबिज काश्त चले आ रहे है । इस कारण अपीलांटस विवादित भूमि के खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने इन समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना प्रार्थना पत्र निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम 1955 प्रभाव में आया उसके पहले और लागू हुआ तब से अपील के पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि बिलानाम दर्ज थी । उक्त खसरा नंबरों की कृषि भूमियों पर प्रार्थीगण के पिता बिरदा थाकण का खसरा परिवर्तनशील पी. 14 में संवत् 2010 से 2018 तक सेटलमेंट खसरा नंबर 1052 व 1053 पर कब्जा काश्त दर्शाया है । ग्राम रूपनगढ़ के सेटलमेंट खसरा नंबर 1052, 1053 की खसरा परिवर्तनशील एवं पी. 14 में बिरदा थाकण के नाम गिरदावरी, पी. 25 में बिलानाम दर्ज है । प्रार्थीगण के पिता बिरदा एवं प्रार्थीगण का कब्जा काश्त कहीं ज्यादा कहीं कम रहा है लेकिन वर्तमान खेवट खतौनी संख्या नई 43, पुरानी 19 खसरा संख्या 1010/2483 जिसका कुल रकबा 9 बीघा है जिस पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का ही है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में होने तथा विवादित आराजियात पर अपीलांटस को बेदखल किये जाने पर अपूर्णीय क्षति भी अपीलांटस को होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । प्रार्थीगण ने अपनी लिखित बहस में स्पष्ट अंकित किया था कि राजस्व विभाग की गलती से जमाबंदी (खतौनी) संवत् 2042 से 2045 में प्रार्थीगण के पिता बिरदा थाकण के बजाय आशाराम पुत्र लादूराम कौम ब्राहमण सा0देह खातेदार अंकन हो गया है । अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त त्रुटिपूर्ण इंद्राज के आधार वादवर्णित भूमि को भू–माफियाओं से मिलकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 जो कि भू–माफिया है को बेचान कर दी जबकि मौके पर न तो अप्रार्थी संख्या 1 का और उसके पिता आशाराम का कब्जा काश्त रहा है एवं ना ही अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का ही कब्जा काश्त है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखा जाना आवश्यक था । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र का निस्तारण मूल वाद के समान कर दिया है जो विधिविरूद्ध है क्योंकि प्रकरण मं अभी तक पक्षकारों की साक्ष्य नहीं हुई है । पक्षकारों की साक्ष्य से ही यह निर्धारित किया जा सकेगा कि मौके पर वास्तविक रूप से भौतिक कब्जा किस पक्षकार का है । बहस में आगे कथन किया कि आदेशिका दिनांक 26.3.2012 को देखते ही यह स्पष्ट होता है कि अधी0न्याया0 ने आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.5.2012 की अधिवक्ता प्रार्थीगण को नोट करवाई थी लेकिन बाद में अप्रार्थीगण से मिलीभगत कर तारीख पेशी में काट–छांट कर बदल दी जिसकी सूचना प्रार्थीगण के अधिवक्ता को नहीं दी गई । इसी प्रकार आदेशिका दिनांक 16.4.2012 को देखने से भी स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को अप्रार्थी उपस्थित नहीं थे तो उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करनी चाहिये थी लेकिन नहीं की गई । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 3 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि के संबंध में विक्रय पत्र निष्पादित किया गया था जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 3850 दिनांक 20.7.2011 तस्दीक हो चुका है । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त चले आ रहे है । अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्रों को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना अपीलांटस किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नही कर सकते है । बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांटस ने परिवार के अन्य सदस्यों का भी विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होना बताया है किन्तु उन्हें वाद एवं प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं

बनाया है । प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में अंकित किया है कि एकीकरण खसरा संख्या 882, 882,884 वर्तमान खेवट खतौनी संख्या नई 43 पुरानी 19 खसरा नंबर 1010/2483 कुल रकबा 9 बीघा दर्शाया है जो गलत है । एकीकरण खसरा संख्या 882 से 1010/2484 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 1010 रकबा 8 बीघा एवं खसरा नंबर 1010/2483 रकबा 9 बीघा कुल रकबा 37 बीघा 5 बिस्वा बनता है । इस कारण प्रार्थीगण का वाद व प्रार्थना पत्र प्रारंभिक स्तर पर खारिज किये जाने योग्य था । प्रार्थीगण ने कुल रकबा 9 बीघा भूमि बाबत् चाराजोही की है जो गलत है । संवत् 2010 से 2013 की गिरदावरी रेस्पो0 संख्या 1 के पिता के फौत होने पर रेस्पो0 संख्या 1 एवं उसकी सगी बहिन उषा किरण दो वारिस है परन्तु रेस्पो0 संख्या 1 की बहिन ने रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में हक त्यागनामा अपने हिस्से तक निष्पादित कर दिया था इस कारण रेस्पो0 संख्या 1 विरासत एवं हक त्याग से प्राप्त आराजी खसरा संख्या 1010/2483 रकबा 9 बीघा का विक्रय दिनांक 20.5.2011 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था । अपीलांटस ने स्वच्छ हाथों से वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया था । रेस्पो0 संख्या 2 व 3 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त है जिन्हें किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि विवादित आराजियात पर उनके पिता का संवत् 2010 से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में अपीलांटस काबिज काश्त है । वादग्रस्त आराजियात पर रेस्पो0 संख्या 1 व उसके पिता का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । रेस्पो0 संख्या 1 के पिता के नाम किया गया इंद्राज गलत व अवैध है । तत्पश्चात् रेस्पो0 संख्या 1 के नाम तस्दीक विरासत नामांतकरण एवं रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 व 3 को किया गया विक्रय भी अवैध एवं शून्य है । अधी0न्याया0 के समक्ष हक खातेदार घोषणा का वाद विचाराधीन है । अतः वाद के विचाराधीन रहते रेस्पो0 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात खसरा नंबर 1010/2483 रकबा 10 बीघा भूमि जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 के अनुसार आशाराम पुत्र लादूराम जाति ब्राहमण के नाम खातेदारी से दर्ज है । आशाराम पुत्र लादूराम की मृत्यु उपरांत विरासत नामांतकरण संख्या 3769 दिनांक 4.3.2011 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 प्रदीप कुमार पुत्र आशाराम के नाम दर्ज की गई है । तत्पश्चात् रेस्पो0 संख्या 1 प्रदीप कुमार ने विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 2 व 3 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र से बेचान की जिसके आधार पर रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के नाम नामांतकरण संख्या 3850 दिनांक 20.7.2011 को स्वीकृत किया गया है । इस प्रकार वर्तमान राजस्व अभिलेख में विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार रेस्पो0 संख्या 2 व 3 है । वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है । वादी/अपीलांटस को विवादित आराजियात में क्या हक व अधिकार प्राप्त होगें यह वाद में बाद साक्ष्य निर्धारण होगा, किन्तु वर्तमान में रेस्पो0 विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार है जिन्हें किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांटस के पक्ष में नहीं पाये जाते है । विद्वान अधी0न्याया0 ने इन

सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्णदस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत प्रार्थी/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपील अपीालंटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.7.2012 यथावत् रखा जाता है। अजमेर । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

**(मेघना चौधरी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

8. निर्णय आज दिनांक 11.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(मेघना चौधरी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**